न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
119 / 2022 प्रा.पत्र / 2022
जीसीएमएस नं0 197 / 2022

तारीख दायरा
07.12.2022

तारीख निर्णय
14.11.2025

डॉ0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री पारस जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स एन.बी.एन्टरप्राईजेज बडा कुऑ टोंक जिला टोक निवासी आदर्श नगर टोंक जिला टोंक (राज0)। पिनकोड–304001 मोबाईल नं0 9214982588

2–श्री गिरधर गोपाल साबू डायरेक्टर मैसर्स साबू सोडियम क्लोरो लिमिटेड एल–5 बी–2 सी–स्कीम कृष्णा मार्ग जयपुर राज0। पिनकोड–302003

3–श्री विकास कुमार लकोटिया डायरेक्टर मैसर्स साबू सोडियम क्लारो लिमिटेड एल–5 बी–2 सी–स्कीम कृष्णा मार्ग जयपुर राज0। पिनकोड–302003

4–श्री नीरज कुमार अग्रवाल डायरेक्टर मैसर्स साबू सोडियम क्लारो लिमिटेड एल–5 बी–2 सी–स्कीम कृष्णा मार्ग जयपुर राज0। पिनकोड–302003

5– श्री संजय सरना डायरेक्टर मैसर्स साबू सोडियम क्लारो लिमिटेड एल–5 बी–2 सी–स्कीम कृष्णा मार्ग जयपुर राज0। पिनकोड–302003

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 में

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री भागचन्द बैरवा उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 14-11-25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.07.2022 को समय 02:29 पी.एम. पर मैसर्स एन.बी.एन्टरप्राईजेज बडा कुऑ टोंक जिला टोक निवासी आदर्श नगर टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री पारस जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स एन.बी.एन्टरप्राईजेज बडा कुऑ टोंक जिला टोक निवासी आदर्श नगर टोंक जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री पारस जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पारस जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन ने

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, श्री पारस जैन की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड़, तेल, घी, मसाले आदि के साथ–साथ **आयोडाईज्ड नमक न्यू सूर्या ब्राण्ड (Iodised Salt New Surya Brand)** दुकान में प्लास्टिक के 600 कट्टों में 1–1 किलोग्राम के 25 पॉली पैक वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री पारस जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री पारस जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान में प्लास्टिक के 600 कट्टों में 1–1 किलोग्राम के 25 पॉली पैक में से कट्टे का चयन कर में से 4 नग पॉली पैक **आयोडाईज्ड नमक न्यू सूर्या ब्राण्ड (Iodised Salt New Surya Brand)** जिसके बैंच नं0 6 एवं पैकिंग 06/2022 थी, ज्यों का त्यों 1–1 किलोग्राम के 4 नग पॉलीपैक कुल 4 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **आयोडाईज्ड नमक न्यू सूर्या ब्राण्ड (Iodised Salt New Surya Brand)** 1–1 किलोग्राम के 4 नग पॉली पैक ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड को लेकर, नियमानुसार चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3224 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3224 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री पारस जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन मैसर्स एन.बी.एन्टरप्राईजेज बडा कुऑ टोंक जिला टोक ने बतौर वारन्टी मैसर्स साबू सोडियम क्लोरो लिमिटेड ग्राम गोविन्दी तह. नावां सिटी नागौर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य प्रदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए / 2022 / 2139 दिनांक 16.08.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0एस0 / 2402 / एक्ट / 2022 / 2428 दिनांक 26.07.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **आयोडाईज्ड नमक न्यू सूर्या ब्राण्ड (Iodised Salt New Surya Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के धारा 3(1)(zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी श्री भागचन्द बैरवा उपस्थित हुए। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस की तथा वहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट / दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **आयोडाईज्ड नमक न्यू सूर्या ब्राण्ड (Iodised Salt New Surya Brand)** का विकय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **आयोडाईज्ड नमक न्यू सूर्या ब्राण्ड (Iodised Salt New Surya Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध व धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14-11-25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक